अखिल भारतीय किसान सभा AIKS

किसान अधिकार सत्याग्रह 2026 — अभियान पुस्तिका (जन संस्करण)

महाविश्वासघात

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : पूर्ण आत्मसमर्पण

साथ में : "लूट की कीमत" — फ्लिपकार्ट-वालमार्ट का ₹1 दूध और 8 करोड़ दूध उत्पादकों पर हमला

लेखक : राजन क्षीरसागर

अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

संघर्ष की तिथियाँ : 22 जुलाई • 10 अगस्त • 1 सितम्बर 2026

जय किसान!

अखिल भारतीय किसान सभा • अजय भवन, 15 इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली – 110002

भूमिका : ₹500 अरब का झूठ और समर्पण की इमारत

“किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा।” — 9 फरवरी 2026 को हुए भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के बाद सरकार के प्रवक्ता यही रट लगाए हुए हैं। लेकिन इस आश्वासन के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी है। जिसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की “कूटनीतिक जीत” बताया जा रहा है, वह वास्तव में भारतीय खेती-किसानी पर सोचा-समझा और विनाशकारी हमला है।

समझौते की घोषणा होते ही गोदी मीडिया चिल्लाने लगा — “भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का माल खरीदेगा!” लेकिन 24 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस ने चुपचाप अपना फैक्ट-शीट बदल दिया। पहले लिखा था भारत ने खरीद की **“प्रतिबद्धता”** जताई है; बदलकर लिखा गया भारत की ऐसी **“मंशा”** है। फर्क समझिए — प्रतिबद्धता यानी बाध्यकारी वादा; मंशा यानी कुछ भी नहीं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार बोइंग विमान और गैस की अधिकतम खरीद के बाद भी पाँच साल में वास्तविक आँकड़ा 150–200 अरब से आगे नहीं जा सकता। यह आँकड़ा सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि अमेरिका इसे डंडे की तरह इस्तेमाल कर हमें अपना माल खरीदने के लिए मजबूर करता रहे।

गैर-बराबरी की जंग

मंत्री टीवी पर कहते हैं कि भारतीय किसान अमेरिकी किसानों से मुकाबला कर सकते हैं। ज़रा आँकड़े देखिए। अमेरिका का संघीय कृषि सुरक्षा तंत्र अपने किसानों को हर साल अरबों डॉलर की सीधी सब्सिडी देता है, जबकि भारत की कृषि सहायता 12 करोड़ किसानों में बँटी हुई है — प्रति किसान हिस्सा कई गुना छोटा और अक्सर कागज़ी।

> **सोयाबीन MSP 2025-26 : ₹5,328 प्रति क्विंटल**
> **CACP के अनुसार उत्पादन लागत : ₹4,638 प्रति क्विंटल**
> **समझौते के बाद किसान को मिल रहा दाम : ₹3,600 प्रति क्विंटल**

यह दाम-सुधार नहीं है। यह **अंग-भंग** है। तलवार वाशिंगटन में चली, लेकिन उसे थामने वाला हाथ दिल्ली में था।

1. यह सौदा शुरू से ही अवैध था

20 फरवरी 2026 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में घोषित किया कि राष्ट्रपति ट्रम्प को दुनिया भर पर टैरिफ थोपने का कानूनी अधिकार ही नहीं था — यह अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है।

ज़रा सोचिए। भारत की सारी रियायतों का आधार — फरवरी से पहले समझौता कर लेने की हड़बड़ी, दंडात्मक टैरिफ का डर — वह धमकी थी जिसे अमेरिकी अदालत ने ही **गैर-कानूनी और असंवैधानिक** ठहरा दिया। यदि मोदी सरकार सिर्फ 18 दिन और रुक जाती, तो भारत ताकत की स्थिति से मोल-भाव करता। संसद में विपक्ष ने पूछा — प्रधानमंत्री को ट्रम्प से समझौते की घोषणा करवाने की इतनी जल्दी क्यों थी? कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ईमानदार जवाब शर्मनाक होगा : हमने अपने लोगों की रोज़ी-रोटी से ज़्यादा एक विदेशी राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने को महत्व दिया। यह कूटनीति नहीं है — ढोल-नगाड़ों में लिपटी नाकामी है। और कीमत चुका रहे हैं भारत के किसान।

> **समझौता : 9 फरवरी 2026 • US सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 20 फरवरी 2026 (6-3)**
> **फर्क सिर्फ 18 दिन का — और पूरी 'मजबूरी' हवा हो जाती**
> **'₹500 अरब' का वादा : असल में सिर्फ 'मंशा'; GTRI का यथार्थ आकलन — 150–200 अरब**

सौजन्य https://cagle.com/christo-komarnitski अमरिका में प्रकाशित कार्टून इस कार्टून में एक डायपर पहने हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (SCOTUS) का एक विशाल हथौड़ा (गेवल) दिखाया गया है, जबकि ट्रंप स्वयं अपना टैरिफ (आयात शुल्क) संबंधी हथौड़ा पकड़े हुए हैं। इस चित्रांकन में अदालत को व्यापारिक उपायों को रद्द करने के लिए तैयार दिखाया गया है। इसके प्रकाशन का समय फरवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ मेल खाता है, जो टैरिफ शक्तियों की समीक्षा कर रहा है।

2. पहला शिकार : सोयाबीन किसान

मध्य प्रदेश के देवास जिले में 52 वर्षीय गंगा राम कौरव खाली बोरों के ढेर को देखते हैं। फसल अच्छी हुई, फिर भी बोरे खाली हैं — क्योंकि आज के भाव पर बेचना, फसल सड़ने देने से भी बड़ी हार लगती है।

> **"समझौते के बाद सरपंच ने लाउडस्पीकर पर कहा — अमेरिका अब हमारा दोस्त है, दाम बढ़ेंगे। वह 9 फरवरी था। 15 फरवरी तक दलाल मुझे ₹3,600 दे रहा था। पिछले साल ₹4,200 मिले थे। ट्रैक्टर का कर्ज़ है, बेटी की किताबें हैं। वे 'नया भारत' कहते हैं — मेरे खेत में तो वही पुरानी लूट है।"** — गंगा राम कौरव, देवास (म.प्र.)

गंगा राम जैसे **40 लाख किसान परिवार** सोयाबीन पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश में 48% और महाराष्ट्र में 32% उत्पादन होता है। सरकार कहती है कि अमेरिकी सोयाबीन के लिए दरवाज़ा बंद है। तकनीकी रूप से सही — लेकिन जंग सामने के दरवाज़े से नहीं जीती जाती। समझौते ने दो चोर रास्ते खोले हैं :

- **सोयाबीन तेल :** सस्ता, सब्सिडी-युक्त अमेरिकी तेल हमारे बाज़ार में भरेगा।
- **DDGS (डिस्टिलर्स ग्रेन) :** अमेरिकी इथेनॉल उद्योग का उपोत्पाद, जो पशु-आहार में सोया खली की जगह लेगा।

भारतीय सोयाबीन से दो चीज़ें बनती हैं — तेल (इंसानों के लिए) और खली (पशुओं के लिए)। दोनों के बाज़ार पर एक साथ वार किया गया है। पशु-आहार निर्माताओं के संगठन CLFMA का अनुमान है कि तीन साल में **25 लाख टन भारतीय सोया खली** अमेरिकी DDGS से विस्थापित हो सकती है — यानी 31 लाख टन सोयाबीन, हमारी कुल फसल का **25% हिस्सा बेकार!**

> **प्रति हेक्टेयर घाटा : लगभग ₹17,000**
> **दो हेक्टेयर वाले किसान परिवार का घाटा : ₹35,000 प्रति सीज़न**
> **यानी परिवार की सालाना कमाई का एक-चौथाई से एक-तिहाई हिस्सा साफ़!**

3. मौत का फरमान : कपास और खून से सना 'सफेद सोना'

विदर्भ के यवतमाल में 45 वर्षीय सविता शेंडे अपनी साड़ी के पल्लू से कपास की छोटी गठरी खोलती हैं। "यह शुभ्र सोना है," वे कहती हैं, "मेरे पति इसे यही कहते थे।" उनके पति अब नहीं हैं — 2019 में जब कपास का दाम बीज-खाद की उधारी से भी नीचे गिर गया, तो उन्होंने कीटनाशक पी लिया। आज सविता को अपने बेटे की चिंता है।

कपास किसान को एक नहीं, दो घूँसे मारे गए :

- **पहला घूँसा (19 अगस्त 2025) :** केंद्र सरकार ने कपास पर 11% आयात शुल्क खत्म कर दिया — "कपड़ा उद्योग की मदद" के नाम पर विदेशी रेशे के लिए मंडियाँ खोल दीं।
- **दूसरा घूँसा (9 फरवरी 2026) :** भारत–अमेरिका व्यापार समझौता — निर्यात बढ़ाने की बात, लेकिन घरेलू दाम का सत्यानाश।

> **C2+50% फार्मूले से MSP होना चाहिए : ₹10,075 प्रति क्विंटल**
> **किसान को मिल रहा दाम : ₹6,000–7,000 प्रति क्विंटल**
> **कपास किसानों की कुल लूट : ₹36,518 करोड़ से अधिक**
> **CCI का अनुमानित घाटा : ₹12,416 करोड़**

विदर्भ में रोज़ **9 किसान** और पूरे देश में रोज़ **31 किसान** आत्महत्या करते हैं। अर्थशास्त्री ₹36,518 करोड़ के घाटे को 'बाज़ार सुधार' कहते हैं। परिवार रोज़ 31 मौतों को क्या कहें? — प्रलय।

बीज–पेटेंट बम

समझौते में छिपे "डिजिटल व्यापार नियम" GM बीजों पर पेटेंट की अमेरिकी माँग का दरवाज़ा खोलते हैं। भारतीय पेटेंट कानून 1970 की धारा 3(j) बीज, पौधों और किस्मों पर पेटेंट को रोकती है — यही दीवार हमें अर्जेंटीना जैसी बर्बादी से बचाती रही है। अमेरिका इसे गिराना चाहता है। आज किसान बीटी कपास बीज पर लगभग ₹49 प्रति पैकेट ट्रेट-फीस देता है; अमेरिकी स्तर लागू हुआ तो दो एकड़ वाली सविता शेंडे को **हर सीज़न ₹4,000–5,000 अतिरिक्त** देने होंगे — उन बीजों को बोने के 'अधिकार' के लिए, जो हज़ारों सालों से किसान बचाते और बोते आए हैं।

4. मीठा ज़हर : 5.5 करोड़ गन्ना किसानों पर वार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 वर्षीय सुखदेव सिंह हफ्तों से मिल के भुगतान का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने एक नया शब्द सुना है, जो उन्हें डराता है — इथेनॉल। “मिल का साहब गाँव आया था। बोला अब सरकार अमेरिकी मक्का से तेल (ईंधन) बनाएगी, सब्र रखो। मैं ज़िंदगी भर सब्र करता रहा। मेरे बेटे की फीस अभी चाहिए।”

चीनी उद्योग **₹1.3 लाख करोड़** का तंत्र है, जिस पर **5.5 करोड़ किसान** और 5 लाख मज़दूर टिके हैं। समझौते में इथेनॉल के लिए अमेरिकी मक्का के शुल्क-मुक्त आयात का प्रावधान इन परिवारों पर सीधा हमला है। अनाज-आधारित इथेनॉल पहले ही ब्लेंडिंग बाज़ार का 72% कब्जा चुका है; अब हर लीटर आयातित-मक्का इथेनॉल देसी गन्ने को बाहर धकेलेगा। मिलों की इथेनॉल आमदनी घटेगी, तो FRP चुकाने की क्षमता ढहेगी — और भुगतान में देरी का नया बहाना मिलेगा। सुखदेव सिंह का डर काल्पनिक नहीं है — वे उसे जी रहे हैं।

> **चीनी अर्थतंत्र : ₹1.3 लाख करोड़ • 5.5 करोड़ किसान + 5 लाख मज़दूर**
> **उत्तर प्रदेश अकेला : देश का 49% गन्ना उत्पादन**
> **अनाज-आधारित इथेनॉल का कब्जा : 72% (2025-26)**
> **2030 तक मक्का-इथेनॉल की माँग : 2.7 करोड़ टन — यही बाज़ार अमेरिका हड़पेगा**

5. मक्का की भूल-भुलैया : DDGS की चोर खिड़की

वाणिज्य मंत्री कहते हैं “अमेरिकी मक्का को कोई छूट नहीं”, कृषि मंत्री कहते हैं “गेहूँ, चावल, मक्का के दरवाज़े बंद हैं।” सामने का दरवाज़ा बंद है, लेकिन पीछे की खिड़की खोल दी गई है — समझौते में अमेरिकी **DDGS के 5 लाख टन कोटे** को घटे शुल्क पर मंज़ूरी दी गई है। DDGS मक्का से इथेनॉल बनाने का उपोत्पाद है, जो मुर्गी और पशु आहार में सीधे मक्का की जगह लेता है। यह भेड़ की खाल में भेड़िया है।

मक्का भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है — **1.7 करोड़ किसान**, अधिकतर दो हेक्टेयर से छोटी जोत वाले; परिवारों समेत 8 करोड़ लोग। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में केंद्रित। दाम पर दबाव ठीक कटाई के बाद पड़ेगा, जब किसान बेचने को सबसे ज़्यादा मजबूर होता है। अमेरिका की आयोवा कॉर्न ग्रोवर्स एसोसिएशन खुलेआम जश्न मना रही है कि यह सौदा उनके गोदामों में सड़ रहे रिकॉर्ड अधिशेष को खाली करेगा। यानी अमेरिका का सरप्लस हमारी मंडियों में डंप होगा और कीमत चुकाएँगे भारतीय किसान। ध्यान रहे — भारत में **14.65 करोड़ जोतें** हैं, अमेरिका में केवल 18.8 लाख फार्म — विशाल, भारी सब्सिडी वाले। यह मुकाबला नहीं, कत्ल है।

> **मक्का किसान : 1.7 करोड़ • परिवारों समेत 8 करोड़ लोग**
> **US DDGS आयात कोटा : 5 लाख टन → देसी मक्का का 4.25 लाख टन विस्थापन**
> **मक्का, सोयाबीन व ज्वार मिलाकर प्रभावित : ~2 करोड़ किसान, 10 करोड़ लोग**
> **भारत की जोतें 14.65 करोड़ बनाम अमेरिका के मात्र 18.8 लाख विशाल फार्म**

6. डेयरी की परीक्षा : 8 करोड़ परिवारों का सवाल

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है — 2023-24 में 239.3 मिलियन टन। यह किसी कॉर्पोरेट का नहीं, **8 करोड़ दूध-उत्पादक परिवारों** का कमाल है, जिनमें **70% महिलाएँ** हैं। हमारी ताकत सहकारी मॉडल है।

सरकार कहती है समझौते से डेयरी बाहर है। लेकिन दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है — दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होते हुए भी भारत 2025 में अनुमानित 23,000 टन व्हे-प्रोटीन आयात कर रहा है, मुख्यतः अमेरिका-यूरोप से। और इसके पीछे 'चॉकलेट कनेक्शन' है : अमेरिका चॉकलेट व स्पोर्ट्स-न्यूट्रिशन बाज़ार के बहाने भारत के डेयरी सेक्टर को खोलने का दबाव बना रहा है। शुरुआत व्हे से होगी, फिर मिल्क पाउडर, फिर बाकी उत्पाद। भारत के पास दाम स्थिर रखने के लिए 2 लाख टन से अधिक मिल्क पाउडर का भंडार है — सस्ते, सब्सिडी-युक्त आयात की बाढ़ इन सुरक्षा-कवचों को बेमानी कर देगी। जो आज 'व्हे आयात' है, वह कल दूध की बाढ़ बनकर हमारे गाँवों की रोज़ी डुबो सकता है।

> **दूध उत्पादन (2023-24) : 239.3 मिलियन टन • 8 करोड़ किसान, 70% महिलाएँ**
> **डेयरी बाज़ार का मूल्य : ₹19 लाख करोड़**
> **व्हे-प्रोटीन आयात 2025 : 23,000 टन (2024 से 20% अधिक) — भारत अब सबसे बड़ा आयातक**
> **मिल्क पाउडर भंडार : 2 लाख टन+ (अकेले महाराष्ट्र में 50,000 टन)**

7. लूट की कीमत : फ्लिपकार्ट-वालमार्ट का ₹1 दूध

(यह अध्याय अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर का वह लेख है, जो फ्लिपकार्ट के ₹1 दूध अभियान के विरुद्ध देश भर में जारी किया गया — यह व्यापार समझौते की उसी साज़िश का दूसरा चेहरा है।)

खेल पुराना है — शिकार नया है

अमेरिका में वालमार्ट के ग्रॉसरी विस्तार ने **30,000 से अधिक स्वतंत्र किराना दुकानें** बंद करवा दीं। तरीका सीधा था : इतने समय तक दाम गिराओ कि प्रतिस्पर्धी खत्म हो जाएँ, फिर एकाधिकार जमाकर दाम बढ़ाओ। अब वही खेल देसी अंदाज़ में भारत पहुँचा है। निशाने पर मोहल्ले की किराना दुकान नहीं — हमारा सहकारी आंदोलन है। और हथियार है दूध : 8 करोड़ किसानों की रोज़ी, जिनमें 70% महिलाएँ हैं।

मार्च 2026 में वालमार्ट-समर्थित फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक में "ग्राहक जोड़ो अभियान" शुरू किया। ऑफर : **आधा लीटर दूध ₹1 में।** इस आँकड़े को दिल में उतरने दीजिए।

कोलार जिले की लक्ष्मी सुबह 3 बजे उठती हैं। 7 बजे तक उनके 15 लीटर दूध सहकारी समिति को ₹40 प्रति लीटर पर बिक जाते हैं। दोपहर तक वही दूध फ्लिपकार्ट पर ₹1 में बिक रहा है — उस प्लास्टिक की बोतल से भी सस्ता, जिसमें वह भरा है। लक्ष्मी नहीं जानतीं 'लॉस लीडर' क्या होता है। लेकिन वे जानती हैं कि बेंगलुरु में एक ग्राहक जोड़ने के लिए उनकी रोज़ी नीलाम की जा रही है। यह पूँजीवाद नहीं है। यह उपभोक्तावाद का लबादा ओढ़े शिकार है।

आँकड़े जो हर जागरूक नागरिक को झकझोर दें

- किसान को खरीद मूल्य : **₹38–40 प्रति लीटर**
- फ्लिपकार्ट का प्रचार मूल्य : **₹1 प्रति आधा लीटर** (खरीद लागत से 97–97.5% नीचे)
- प्रचार में बिका कुल दूध : **14.5 लाख लीटर**
- BAMUL की दैनिक बिक्री में गिरावट : **40–50 हज़ार लीटर**
- अभियान पर कथित खर्च : **लगभग ₹2,000 करोड़**
- दाँव पर : **8 करोड़ डेयरी किसानों की आजीविका, 70% महिलाएँ**

फ्लिपकार्ट जो नहीं बताएगा

"सीमित प्रचार अभियान" — यानी किसानों के पैसे और पीढ़ियों की मेहनत से बने सहकारी संस्थानों की

क्षति स्थायी होगी। जो दाम सहकारी संस्था को बंद होने पर मजबूर करे, उसमें 'सीमित' कुछ नहीं है।

"दाम विक्रेता तय करते हैं" — यानी हम 'प्लेटफॉर्म तटस्थता' की कानूनी आड़ में छिपेंगे, जबकि असली दाम हमारे एल्गोरिद्म और प्रचार-बजट तय करते हैं। वालमार्ट दुनिया भर में यही बहाना बनाता है।

"डेयरी साझेदारों को पूरा दाम मिलता है" — यानी घाटा हम प्लेटफॉर्म स्तर पर उठाते हैं, ताकि बाज़ार का ढाँचा ढहते समय छूट अदृश्य रहे। स्वतंत्र दुकानदारों को खत्म करने वाली यही क्लासिक 'लॉस लीडर' चाल है।

> *"दूध को मार्केटिंग का खिलौना नहीं बनाया जा सकता — यह उन लाखों किसानों का सहारा है जो रोज़ देश की ज़रूरत का दूध जुटाते हैं।"* **— डी.के. सुरेश, अध्यक्ष, BAMUL**

BAMUL अध्यक्ष ने दूध के नमूनों की जाँच की माँग भी की है — आशंका है कि इतना असंभव दाम पाने के लिए मिल्क पाउडर मिलाया गया हो। जब दूध इकट्ठा करने, जाँचने और प्रोसेस करने वाली सहकारी संस्था ही यह सवाल उठाए, तो देश को कान खड़े कर लेने चाहिए।

यह लड़ाई सिर्फ दूध की नहीं है

- **सहकारिता पर घेराबंदी :** KMF और 'नंदिनी' के अधीन कर्नाटक की डेयरी सहकारिताएँ सामूहिक स्वामित्व का सबसे सफल प्रयोग हैं — स्थिर खरीद मूल्य, पशु-चिकित्सा सेवाएँ, मुनाफे की वापसी। असीमित पूँजी वाली कंपनी जब दूध ₹1 में बेचती है, तो वह नंदिनी से मुकाबला नहीं करती — वह उस बाज़ार को ही नष्ट कर देती है जिसमें नंदिनी चलती है। सहकारिता लहूलुहान, तो किसान लहूलुहान।
- **'उपभोक्ता लाभ' का झूठ :** उत्पादन लागत के 2.5% पर दाम बाज़ार-भाव नहीं, प्रतिस्पर्धा को मारने की सब्सिडी है। आज ₹1 में दूध खरीदने वाला उपभोक्ता, सहकारी क्षेत्र ढहते ही, कल फ्लिपकार्ट का मनमाना एकाधिकार-मूल्य चुकाएगा।
- **डिजिटल सामंतवाद :** प्लेटफॉर्म ढाँचे के मालिक, डेटा के मालिक — और उत्पादक अपनी ही ज़मीन पर मुज़ारा। किसान दाम-भोगी बनेगा, सहकारिता बेमानी होगी, उपभोक्ता महज़ डेटा-पॉइंट।

विरोधाभास, जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौते से डेयरी पूरी तरह बाहर है — हमारा डेयरी क्षेत्र "शत-प्रतिशत सुरक्षित" है। अगर यह सच है, तो **एक अमेरिकी-स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म को वह करने की छूट क्यों है, जो अमेरिकी दूध-आयात को नहीं है?** विदेशी दूध से सुरक्षा किस काम की, अगर विदेशी पूँजी को आज ही भारतीय दूध का दाम तबाह करने दिया जाए? व्यापार समझौता कल का खतरा है। फ्लिपकार्ट का ₹1 दूध आज का, सामने खड़ा खतरा है।

कानून क्या कहता है — और उसे क्या कहना चाहिए

BAMUL ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19(1)(a) के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन कानूनी ढाँचा ही नाकाफ़ी है — यह अधिनियम न खेती की खासियतों (जल्दी खराब होना, आजीविका-निर्भरता) के लिए बना था, न उस प्लेटफॉर्म-अर्थतंत्र के लिए जहाँ निवेशकों की पूँजी से लागत-से-नीचे दाम सालों झेले जा सकते हैं। **अखिल भारतीय किसान सभा माँग करती है कि कानून में संशोधन कर, जल्दी खराब होने वाली कृषि-उपज की प्रचलित खरीद-कीमत के 80% से नीचे किसी भी बिक्री को — बाज़ार-हिस्सेदारी चाहे जो हो — प्रथम-दृष्टया 'शिकारी मूल्य-निर्धारण' घोषित किया जाए।**

पाँच सूत्री तात्कालिक माँगें

- **CCI द्वारा तत्काल जाँच :** कृषि-उपज को विशेष श्रेणी मानकर धारा 4 के अंतर्गत जाँच तेज़ हो।
- **लागत-से-नीचे बिक्री पर रोक :** जाँच पूरी होने तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खरीद-मूल्य से नीचे कृषि उपज बेचने पर अस्थायी रोक लगे।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन :** लागत-से-नीचे कृषि-बिक्री पर शिकारी मूल्य की धारणा; सहकारी संस्थाओं को विशेष दर्जा; 'प्रभुत्व' की परिभाषा में प्लेटफॉर्म-शक्ति शामिल हो।
- **FDI नियमों का कड़ा अमल :** वाणिज्य मंत्रालय जाँचे कि फ्लिपकार्ट का यह अभियान प्रेस नोट 2 (2018) का उल्लंघन तो नहीं।
- **डेयरी को व्यापारिक रियायतों से बचाओ :** हर भावी वार्ता में डेयरी बाहर रहे; व्हे व मिल्क पाउडर आयात की चोर गलियाँ बंद हों।

पाठक से प्रतिरोधी तक : आप क्या करें

- **सोच-समझकर दूध खरीदिए :** नंदिनी, अमूल या अपने स्थानीय दुग्ध संघ से। सहकारिता से खरीदा हर लीटर, प्लेटफॉर्म-लूट के खिलाफ एक वोट है।
- **जवाबदेही माँगिए :** PMO पोर्टल और CCI की वेबसाइट पर BAMUL की शिकायत के समर्थन में लिखिए। पूछिए — प्रेस नोट 2 लागू क्यों नहीं?
- **यह सच्चाई फैलाइए :** ₹1 = फ्लिपकार्ट पर दूध का दाम • ₹2–3 = खाली प्लास्टिक बोतल का दाम • ₹40 = किसान को मिलने वाला दाम। जब दूध अपनी ही बोतल से सस्ता हो जाए, तो समझिए कुछ भयानक गड़बड़ है।

किसी को यह कहने मत दीजिए कि ₹1 का दूध 'उपभोक्ता का लाभ' है — यह आपके उजड़ने की कीमत है। किसी को यह कहने मत दीजिए कि प्रतिरोध बेकार है — भारत की डेयरी सहकारिताएँ वैश्वीकरण और विनियमन-हटाओ दौर से बचकर निकली हैं; इससे भी निकलेंगी — बशर्ते हम आज, एकजुट होकर खड़े हों।

भैंस कल भी दुही जाएगी, जैसे पीढ़ियों से दुही जाती रही है। सवाल यह है : दाम कौन तय करेगा — अपनी गाय-भैंस की मालकिन किसान, या बाज़ार का मालिक बना प्लेटफॉर्म?

8. हिमालय की बलि : सेब, अखरोट और बादाम के किसान

शिमला की एक ढलान पर, 60 वर्षीय किसान अपने बगीचे की ओर देखते हैं — 30 साल पहले लगाए सेब के पेड़, जिन पर उन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई और सरकारी 'प्रोत्साहन' के भरोसे लाखों रुपये लगाए। आज उन्हें डर है कि यह सब वॉशिंगटन की एक दस्तख़त से मिट्टी हो जाएगा। भारी सब्सिडी वाली अमेरिकी उपज को शुल्क-मुक्त प्रवेश देकर सरकार ने पहाड़ी किसान के लिए ऐसी ढलान वाली पिच बना दी है, जिस पर वह गेंद डालने से पहले ही हार जाता है।

दाँव पर क्या-क्या है : आँकड़ों की चीख

भारत हर साल लगभग **2.5 लाख मीट्रिक टन सेब** उगाता है — दुनिया के उत्पादन का करीब 2%। अकेला जम्मू-कश्मीर इसका **75%** उगाता है : 2 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा और सालाना ₹12,000 करोड़ से ऊपर की आमदनी। हिमाचल का सेब-उद्योग भले छोटा हो, पर ₹4,500 करोड़ के सालाना कारोबार के साथ 2.5 से 6 लाख परिवारों की रीढ़ है। सेब से आगे — जम्मू-कश्मीर देश की **98% खुबानी** उगाता है : 2025 में 3.11 लाख हेक्टेयर पर लगभग 86,000 मीट्रिक टन। बादाम और अखरोट का आँकड़ा भले व्यवस्थित रूप से दर्ज न हो, पर ये पहाड़ी अर्थव्यवस्था के प्राण हैं।

> **सेब : 2.5 लाख मीट्रिक टन/वर्ष • J&K का हिस्सा 75%**
> **J&K सेब की आमदनी : ₹12,000 करोड़ • रकबा 2 लाख हेक्टेयर+**
> **हिमाचल सेब कारोबार : ₹4,500 करोड़ • 2.5–6 लाख परिवार**
> **J&K खुबानी : देश की 98% • 86,000 मीट्रिक टन**
> **दाँव पर : पहाड़ के 15 लाख परिवार**

मुकाबला या कत्ल? — गैर-बराबरी का सच

अब असली तस्वीर देखिए। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक है — अकेला वॉशिंगटन राज्य इतना सेब उगाता है जितना पूरा भारत नहीं। कैलिफ़ोर्निया दुनिया के लगभग **80% बादाम** उगाता है, और भारत पहले ही अमेरिकी बादाम का सबसे बड़ा खरीदार है। अखरोट में भी अमेरिका दिग्गज निर्यातक है। इनके पीछे खड़ी है अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी, विशाल यंत्रीकृत बगीचे और कोल्ड-चेन का साम्राज्य। इसके सामने खड़ा है हिमालय का वह छोटा किसान, जो खड़ी ढलान पर, बर्फ़ और भूस्खलन के बीच, पीठ पर पेटी ढोकर सेब मंडी तक पहुँचाता है।

घोषणा-भर से बाज़ार काँप उठा है। वालमार्ट और कारगिल जैसी दिग्गज कंपनियों की शह पर अमेरिकी सेब-मेवा उत्पादकों को भारत के बढ़ते प्रीमियम फल-बाज़ार में तरजीही पहुँच मिल रही है। जिन **15 लाख परिवारों** ने सरकार के ही उकसावे पर आधुनिक बगीचों, ग्रेडिंग-पैकिंग और भंडारण में सद्भावना के साथ पूँजी लगाई — वह निवेश अब रद्दी होने की कगार पर है। और सवाल यह भी है : जिन इलाक़ों की राजनीतिक आवाज़ पहले ही दबी हुई है, उन्हीं को चुपचाप, राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों से दूर, बलि का बकरा क्यों बनाया गया? **यह आधुनिक भारतीय कृषि-इतिहास की सबसे बड़ी नीतिगत गद्दारियों में से एक है।**

९. सिर्फ खेत नहीं — कारख़ाने और रोज़गार भी उजड़ेंगे

यह मत सोचिए कि चोट सिर्फ खेत तक रुकेगी। जब अमेरिका का सस्ता, सब्सिडीयुक्त माल बाढ़ की तरह घुसेगा, तो हमारे कारख़ाने बंद होंगे और लाखों नौजवानों के हाथ से रोज़गार छिनेगा। इतिहास गवाह है : अंग्रेज़ों ने मैनचेस्टर के मिल-कपड़े की बाढ़ लाकर भारत के लाखों बुनकरों को भूखा मार दिया था देश का 'विऔद्योगीकरण'(de-industrialization) यही था। आज वही खेल नए लबादे में लौट रहा है।

कैसे कटती है रोज़गार की जड़ — कुछ मिसालें

- **खाद्य तेल और सॉल्वेंट उद्योग :** सस्ते अमेरिकी सोयाबीन तेल की बाढ़ से देश की तेल-पेराई (क्रशिंग) और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इकाइयाँ ठप होंगी। DDGS सोया खली को बाहर धकेलेगा — पेराई घटेगी, मिलें बंद, और उन पर टिके हज़ारों मज़दूर-तकनीशियन बेरोज़गार।
- **डेयरी प्रोसेसिंग :** व्हे और मिल्क पाउडर के आयात से देसी दुग्ध-प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता खाली पड़ेगी — जिस क्षेत्र में 11%+ की बढ़त और लाखों रोज़गार की संभावना थी, वह विदेशी माल के आगे दम तोड़ेगा।
- **कपड़ा और चमड़ा :** सस्ते आयातित रेशे व तैयार माल के दबाव में तिरुपुर, कानपुर, आगरा जैसे रोज़गार गढ़ लड़खड़ाएँगे; बुनकर, रँगाई-छपाई कारीगर और छोटे कारख़ानेदार सबसे पहले पिसेंगे।
- **MSME और स्थानीय दस्तकारी :** किराना से लेकर छोटे प्रसंस्करण तक — जब बहुराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म और आयातित ब्रांड 'लॉस-लीडर' दाम पर बाज़ार पाटते हैं, तो करोड़ों छोटे उद्यम और उन पर निर्भर रोज़गार मिट जाते हैं (फ्लिपकार्ट का ₹1 दूध इसका जीता-जागता नमूना है)।

यह 'असेंबली' है, 'उत्पादन' नहीं — हम विदेशी माल के महज़ पैकर और बिचौलिए बनकर रह जाएँगे, जबकि असली मूल्य-वर्धन, तकनीक और नौकरियाँ अमेरिका में रहेंगी। **एक तरफ खेत में दाम गिरेगा, दूसरी तरफ शहर में नौकरी नहीं मिलेगी — गाँव से उजड़ा किसान शहर में भी बेकार भटकेगा।** खेती और उद्योग, दोनों का यह दोहरा उजाड़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं : आत्मनिर्भर भारत का नारा, और आत्मसमर्पण की हक़ीक़त।

10. सरकार के झूठ — एक-एक करके बेनकाब

भाइयो और बहनो, सरकार के मंत्री टीवी पर हाथ जोड़कर, आँख में आँख डालकर झूठ बोलते हैं। आइए, उनके दावों को सच के आईने के सामने खड़ा कर दें — और देखें कि किसका चेहरा काला पड़ता है।

दावा : "ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं जिससे किसी किसान को ज़रा भी नुकसान हो।" **सच :** सोयाबीन, मक्का और कपास — तीनों निशाने पर हैं। खुद गोल्डमैन सैक्स ने पुष्टि की है कि टैरिफ घटाए जाएँगे।

दावा : "किसान पूरी तरह सुरक्षित हैं।" **सच :** सोयाबीन MSP से ₹1,700 नीचे बिक रहा है; कपास-आयात उफान पर है; पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 11 राज्यों के किसान कर्ज़ में डूब रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं "बाज़ार-भाव स्थिर हो गया है" — भाई, अगर ₹3,600 'स्थिर भाव' है, तो जलता हुआ घर भी गर्मी का 'स्थिर स्रोत' है! अगर किसान इतने ही सुरक्षित हैं, तो देवास में बोरे अब भी खाली क्यों पड़े हैं? अगर बाज़ार स्थिर है, तो वसूली एजेंट गिद्धों की तरह गाँवों के चक्कर क्यों काट रहे हैं?

> **दावा : "कोई भी GM (जेनेटिकली मॉडिफाइड) वस्तु आयात नहीं होगी।" सच : नीति आयोग खुद तटीय क्षेत्रों में GM सोयाबीन प्रोसेसिंग का 'रास्ता' (वर्कअराउंड) सुझा रहा है।**

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दावा करते हैं कि मांस, पोल्ट्री, डेयरी, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें "ठीक-ठाक मात्रा में" समझौते से बाहर रखी गई हैं। लेकिन संयुक्त फैक्ट-शीट साफ़ लिखता है कि भारत सोयाबीन तेल और DDGS समेत अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की "विस्तृत श्रेणी" पर बाधाएँ घटाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं "एक भी उत्पाद ऐसा नहीं जिससे किसान को रत्ती भर नुकसान हो" — अखिल भारतीय किसान सभा इसे साफ़ शब्दों में **"पूर्ण आत्मसमर्पण"** कहती है।

गैर-टैरिफ बाधाओं का छिपा एजेंडा : थाली में ज़हर

वित्त मंत्रालय ने 9 जनवरी 2026 को केरल सरकार को अर्ध-सरकारी पत्र भेजकर धान किसानों को मिलने वाला ₹630 प्रति क्विंटल बोनस बंद करने को कहा है। तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी बोनस देते हैं — निशाने पर वे भी हैं। **"गैर-टैरिफ बाधाएँ हटाओ"** — यह मासूम-सा जुमला असल में एक सोची-समझी साज़िश का पर्दा है : **15 करोड़ किसान परिवारों** की रक्षा करने वाला पूरा **नियामक ढाँचा तोड़ देना,** ताकि ज़हरीला अमेरिकी खाद्य-माल बेरोक-टोक भारत में घुसे। यह सीधे राशन-व्यवस्था (PDS) पर हमला है और आगे चलकर **MSP व खरीद-तंत्र को खत्म करने की तैयारी** — जिसे अमेरिका

पहले ही 'बाज़ार-विकृति' (मार्केट डिस्टॉर्शन) कहकर कोसता है।

'कोडेक्स' अंतरराष्ट्रीय मानकों से 'तालमेल' बैठाने के नाम पर भारत के सख़्त खाद्य-सुरक्षा मानक ढीले किए जा रहे हैं। कोडेक्स के एफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशक-अवशेष के मानक भारत के मौजूदा मानकों से कहीं ढीले हैं — यानी जो ज़हरीली मूँगफली और दूषित माल आज भारत में गैर-कानूनी है, वह कल हमारी थाली और बच्चों के पेट में होगा।

कर्ज़-माफी को कानूनन खत्म करने की तैयारी

'बैंकिंग सुधार' और 'बैंक पूँजीकरण' के नाम पर सार्वजनिक बैंकिंग समेत कई क्षेत्रों में विदेशी पूँजी (FDI) की बड़ी घुसपैठ होगी। इससे को-लेंडिंग साझेदारों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) की भूमिका बढ़ेगी, और आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के साथ मिलकर ऐसा तंत्र गढ़ा जाएगा जिसमें किसानों की **कर्ज़-माफी योजना ही खत्म हो जाए**। NBFC-राज में कर्ज़-माफी का राजनीतिक दबाव भी घटेगा और कानूनी बाध्यता भी नहीं रहेगी — बचेगी सिर्फ मुनाफ़े की भूखी संस्थाओं की बेरहम वसूली। **किसान का कर्ज़ माफ़ नहीं होगा, पर किसान की ज़मीन ज़रूर नीलाम होगी।**

बीज और डेटा का उपनिवेश : कल की गुलामी

2009 में बीटी बैंगन के बाद भारत की GEAC ने समझदारी से किसी GM खाद्य-फसल को मंज़ूरी नहीं दी। लेकिन अमेरिकी वार्ताकार, गोयल की मिलीभगत से, इस समझौते के ज़रिए GM फसलों का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं — भारत की जैव-सुरक्षा वॉशिंगटन की एग्रीबिज़नेस लॉबी पर कुर्बान करने के लिए। और सबसे शातिर है "डिजिटल व्यापार नियमों" के पीछे छिपा डिजिटल उपनिवेश : अमेज़न और बायर जैसी कंपनियाँ भारतीय किसानों के डेटा — फसल-पैटर्न, मिट्टी की सेहत, उत्पादन के ब्योरे — तक बेरोक पहुँच पा लेंगी, हमारे डेटा-सुरक्षा कानूनों को दरकिनार करके। जो डेटा राष्ट्रीय संपत्ति होना चाहिए, वह उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है जो पहले से किसान को लूट रही हैं।

गोयल आज़ादी के बाद भारतीय खेती का सबसे बड़ा सौदा कर रहे हैं — खाद्य-सुरक्षा, बीज-संप्रभुता और किसान का डेटा, बदले में बेकार की टैरिफ रियायतें। 15 करोड़ किसान परिवारों की ज़िंदगी और रोज़ी सौदेबाज़ी में डाल देने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं। यह व्यापार-कूटनीति नहीं है — यह भारतीय किसानी के साथ राजद्रोह है।

दाल की जीत : सबूत कि प्रतिरोध काम करता है!

एक बात किसानों को गुस्से से भी और उम्मीद से भी भर दे। अमेरिका ने पहले जो फैक्ट-शीट जारी की, उसमें 'कुछ दालें' भी टैरिफ-कटौती की सूची में थीं। **24 घंटे के भीतर दालें चुपचाप हटा दी गईं।** क्यों? क्योंकि विरोध तुरंत शुरू हो गया — महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 8 बड़े राज्यों के **5 करोड़ दलहन किसानों** ने, जो अरहर और चना उगाते हैं, ज़ोरदार दबाव बनाया।

11. समर्पण के जुड़वां इंजन : NPFAM और व्यापार समझौते

एक किले की कल्पना कीजिए — ऊँची दीवारें : MSP, APMC मंडियाँ, सहकारी समितियाँ, बीज-संप्रभुता के कानून। 2020 में सरकार ने तीन काले कानूनों की सेना से इस किले पर सीधा धावा बोला — 754 शहादतों के बाद किसानों ने उसे हरा दिया। यह आज़ादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन सरकार ने उस हार से सबक सीखा : सीधा हमला मत करो। अब वे रात में इंजीनियर भेजते हैं — दीवार को ईंट-दर-ईंट, चुपचाप गिराने।

वह इंजीनियर है **राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ढाँचा (NPFAM)** — जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने "तीनों काले कानूनों का पुनर्जन्म" कहा है, बल्कि उनसे भी खतरनाक। यह APMC से बाहर निजी थोक मंडियाँ, कॉर्पोरेट द्वारा सीधी खेत-खरीद, रिलायंस-अडानी के गोदाम-साम्राज्य और वायदा-सट्टा बाज़ार को बढ़ावा देता है — और इसमें लाभकारी MSP का ज़िक्र तक नहीं है। FPO को किसान-सशक्तिकरण नहीं, कॉर्पोरेट ठेका-खेती का सुविधाजनक अड्डा बनाया जा रहा है : सौ किसानों से अलग-अलग नहीं, एक FPO से एक करार — पूँजी के लिए दक्षता, किसान के लिए गुलामी।

NPFAM अंदर से सुरंग खोदता है; व्यापार समझौते बाहर से फाटक तोड़ते हैं। एक घरेलू संरक्षण गिराता है, दूसरा सीमाएँ खोलता है। न यह संयोग है, न लापरवाही — यह रणनीति है : भारतीय खेती को कॉर्पोरेट-नियंत्रित वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं में कच्चे माल के सप्लायर की तरह नत्थी करना। आज डेयरी 'सुरक्षित' है, चावल 'सुरक्षित' है — लेकिन DDGS की खिड़की खुल चुकी, व्हे की दरार पड़ चुकी, कपास पहले ही तबाह। यह नरमी नहीं है — **हज़ार घावों से गला घोंटना है।**

12. जिन राज्यों को बाहर रखा गया : संघवाद का गला घोंटना

9 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन में कैमरे चमके, मोदी और ट्रम्प ने "ऐतिहासिक" समझौते की घोषणा की। केरल के इडुक्की जिले में एक किसान चाय की दुकान पर छोटे टीवी पर यह देख रहा था। उसने बगल वाले से बस इतना पूछा — "क्या हमारे मुख्यमंत्री अमेरिका गए थे? क्या हमारे राज्य से किसी ने यह कागज़ पर दस्तखत किए?" जवाब वह पहले से जानता था : नहीं।

पंजाब विधानसभा में विपक्ष ने चर्चा माँगी — स्पीकर ने कहा "यह केंद्र की नीति है, राज्य का कोई रोल नहीं।" और दिल्ली की संसद में विपक्षी नेता जयराम रमेश ने वे सवाल पूछे जो हर विधानसभा में गूँजने चाहिए — "क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में समझौता किया? क्या हमने शून्य टैरिफ मान लिया? क्या हमारे किसान सुरक्षित रहेंगे?" किसी ने जवाब नहीं दिया। 1.4 अरब लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को समझौते का ब्योरा अपनी सरकार से नहीं, **डोनाल्ड ट्रम्प की घोषणा से पता चला।** यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। यह खुले में हो रहा संवैधानिक संकट है, और सत्ता-पक्ष की चुप्पी सबसे बड़ा इकबालिया बयान है।

संवैधानिक सच : खेती राज्यों का विषय है

भारत का संविधान सारी ताकत दिल्ली में नहीं समेटता। राज्य-सूची की प्रविष्टि 14 दो-टूक कहती है — "कृषि, कृषि-शिक्षा और अनुसंधान सहित।" प्रविष्टि 15 पशुधन और पशु-चिकित्सा को, प्रविष्टि 26 राज्य के भीतर व्यापार-वाणिज्य को राज्यों को सौंपती है। यानी भारत के किसान केंद्र सरकार की जागीर नहीं — अपनी राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी हैं। फिर भी जब केंद्र ने ऐसा समझौता किया जो सीधे मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र के सोयाबीन, गुजरात-तेलंगाना के कपास, कर्नाटक-बिहार के मक्का, जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के सेब, और केरल-पूर्वोत्तर के रबर किसानों को प्रभावित करता है तो **एक भी राज्य सरकार को मोल-भाव की मेज़ पर जगह नहीं दी गई।**

राज्यों ने चेताया, केंद्र ने अनसुना किया

समझौता होने के पाँच महीने पहले, जुलाई 2025 में, केरल के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने विधानसभा में खुली चेतावनी दी : *"केरल के लाखों रबर, नारियल, डेयरी और पोल्ट्री किसानों की रोज़ी खतरे में पड़ सकती है।"* उन्हें केंद्र से कोई जानकारी, कोई परामर्श, कोई पूछताछ तक नहीं मिली थी। 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने

वाली ICCFM ने रबर पर खास खतरा बताया — अमेरिका सिंथेटिक रबर का बड़ा निर्यातक है, और भारत पहले ही ₹71,000 करोड़ का सिंथेटिक रबर अमेरिका से आयात कर चुका है। ICCFM ने चीनी की चालाकी वाली फाँस भी बताई : अमेरिका ब्राज़ील से सस्ता कच्चा गन्ना/चीनी लेकर, अपनी रिफ़ाइनरियों में प्रोसेस कर, उसे 'अमेरिकी उत्पाद' बनाकर भारत भेज सकता है — भारतीय किसानों के लिए बनी टैरिफ-सुरक्षा को धता बताकर। क्या इन चिंताओं का जवाब मिला? दिल्ली की चुप्पी ही जवाब है।

जब राज्यों की इज़्ज़त थी : इतिहास का आईना

1990 के दशक में जब केंद्र ने बांग्लादेश के साथ गंगा-जल समझौता किया, तब पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय भूमिका दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु पूरी वार्ता में शामिल रहे। संविधान विशेषज्ञ ए.जी. नूरानी ने लिखा — बसु की सक्रिय भागीदारी के बिना बंगाल समझौते को स्वीकार नहीं करता, और राज्य की स्वीकृति के बिना कोई भी भारत सरकार वह करार नहीं कर सकती थी। यह संघवाद का सम्मान था। आज इसके ठीक उलट — कृषि जैसे राज्य-विषय पर, अनेक राज्यों को छूने वाला यह समझौता किसी ज्योति बसु से पूछे बिना, किसी विधानसभा को बताए बिना, किसी मुख्यमंत्री को वीटो दिए बिना कर दिया गया।

कराधान की फाँस और निदेशक तत्वों का गला

हमला सिर्फ परामर्श तक नहीं रुकता। समझौतों में माँगा जाने वाला “नेशनल ट्रीटमेंट” (आयातित माल के साथ घरेलू माल जैसा ही बर्ताव) राज्यों की प्रवेश-कर जैसी वित्तीय शक्तियों को चुनौती दे सकता है — यानी राज्य की अपनी कमाई और अपने बाज़ार की सुरक्षा दोनों दिल्ली में किए वादे की भेंट चढ़ सकती है।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहरी संवैधानिक चिंता जताई — यह सरकार निदेशक तत्वों (Directive Principles) के तहत बने कानूनों — मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, वनाधिकार कानून — को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर कर रही है। अनुच्छेद 37 इन्हें “देश के शासन में मौलिक” घोषित करता है। व्यापार समझौते खरीद-वरीयता सीमित करके, कृषि-सहायता पर बंदिश लगाकर, सब्सिडी पर सीमा बाँधकर आने वाली हर सरकार के — केंद्र या राज्य — किसान-हितैषी नीति बनाने के औज़ार छीन लेते हैं। संविधान हर पीढ़ी को अपने वक़्त की चुनौतियों से निपटने का हक़ देता है; व्यापार समझौते ठीक इसी को रोकने के लिए बने हैं — आज की नीति को हमेशा के लिए ताला लगा देने के लिए।

खामोश कर दिए गए किसानों की हाज़िरी

- **केरल-पूर्वोत्तर के रबर किसान** — सब्सिडीयुक्त सिंथेटिक आयात के आगे बेबस, राज्य से पूछे बिना सौदा।
- **जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादक** — 15 लाख परिवार, अब अमेरिकी सब्सिडी वाले सेब से मुकाबला।
- **मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र के सोयाबीन किसान** — 40 लाख परिवार, MSP से ₹1,700 नीचे लहूलुहान।
- **विदर्भ-मराठवाड़ा के कपास किसान** — रोज़ 9 मौतें; यह हादसा नहीं, दिल्ली की नीति का नतीजा है।
- **कर्नाटक-बिहार के मक्का किसान** — 1.7 करोड़ किसान, DDGS की उस खिड़की के शिकार जिसे उनकी सरकारें जानती तक नहीं थीं।

जब हर राज्य के किसान अलग-अलग खतरे झेलते हैं, तो एकजुट प्रतिरोध कठिन हो जाता है। यही तो चाल है — फूट डालो और राज करो। **जब केंद्र गुपचुप सौदे करता है, तो कीमत राज्य चुकाते हैं; जब केंद्र संप्रभुता गिरवी रखता है, तो लहू किसान का बहता है; और जब केंद्र संघवाद को कुचलता है, तो लोकतंत्र खुद घायल होता है।**

और क्या-क्या गिरवी रखा गया?

समझौते के तहत भारत ने पाँच वर्षों में अरबों डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा-खरीद का वचन दिया है। ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश जारी कर कहा कि अमेरिका भारत के तेल-आयात की **"निगरानी"** करेगा — रूस से खरीद जारी रही तो 25% टैरिफ फिर थोपे जाएँगे। यह वाक्य दोबारा पढ़िए : एक अमेरिकी राष्ट्रपति तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदे! दिसंबर 2025 तक रूस से हमारा तेल-आयात 2023 के बाद के न्यूनतम स्तर पर आ गया और अमेरिका से तेज़ी से बढ़ा; पेट्रोलियम मंत्रालय PMO के लिए साप्ताहिक आँकड़े जुटा रहा है। जिस देश ने दशकों हमारा साथ दिया, उससे नाता तोड़ने पर अमेरिका हमें दंड देगा यह कूटनीति नहीं, **जागीरदारी है।**

13. सौदों का जाल : एक नहीं, पूरा मकड़जाल

भाइयो, भारत-अमेरिका सौदा अकेला नहीं है। यह सावधानी से बुने गए मकड़जाल का एक धागा भर है। हर समझौता वही करता है जो सीधा टकराव नहीं कर सकता — धीरे-धीरे, चुपचाप, भारतीय खेती को कॉर्पोरेट कब्जे के लिए खोलना। पैटर्न देख लीजिए, फिर आप समझ जाएँगे : हमारी लड़ाई एक सौदे से नहीं, पूरी व्यवस्था से है।

भारत–ब्रिटेन सौदा : अवसर का भ्रम

2025 के मध्य में भारत-ब्रिटेन समझौता हुआ, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना कर $100 अरब से ऊपर ले जाने का दावा है। कागज़ पर हमारे 95% कृषि-निर्यात को शून्य-शुल्क पहुँच मिली। लेकिन गणित का ठंडा आईना देखिए : ब्रिटेन को भारत का कृषि-निर्यात अभी सिर्फ $811 मिलियन है — ब्रिटेन के $37.5 अरब के कृषि-आयात में मामूली हिस्सा। 20% बढ़ोतरी भी मात्र $162 मिलियन — करोड़ों किसानों में बँटकर टुकड़े भर। उधर सेवा-अध्याय से भारत के कॉर्पोरेट IT सेक्टर को फायदा, जिसका ब्रिटेन-निर्यात पहले ही $32 अरब से ऊपर है। **कॉर्पोरेट पूँजी को अरबों, किसान को चिल्लर।** और गौर कीजिए किसे बचाया गया — डेयरी, सेब, जई, खाद्य तेल। सरकार इन 'अपवादों' को जीत बताती है; असल में ये कबूलनामे हैं कि बिना सुरक्षा के हमारे किसान तबाह हो जाते।

यूरोपीय संघ (EU) सौदा : सब विश्वासघातों की माँ

जनवरी 2026 में EU-भारत FTA पूरा हुआ। अधिकारियों ने इसे "सब सौदों की माँ" कहा। किसानों के लिए यह सब विश्वासघातों की माँ है। आँकड़े रट लीजिए : EU अपनी 70.5% आयात-लाइनों पर तुरंत शुल्क हटाएगा, भारत बदले में EU की 49.6% लाइनों पर। वाइन पर शुल्क 150% से घटकर 20-30%, स्पिरिट 150% से 40%, बीयर 110% से 50%। भारी सब्सिडी वाले यूरोपीय पेय और प्रोसेस्ड फूड अब औने-पौने दाम पर भारतीय बाज़ार में भरेंगे।

पर असली फाँस यह है : EU का माल भारत में मुफ़्त घुसेगा, जबकि भारतीय कृषि-निर्यात को EU के कड़े 'स्वच्छता व पादप-स्वच्छता' (SPS) मानक झेलने ही होंगे — EU हर साल कई भारतीय खेप ठुकराता है। **EU का माल बेरोक अंदर, भारत का माल हर बाधा पर अटका।** और यूरोपीय किसान इतने आक्रामक क्यों?

क्योंकि EU की साझा कृषि नीति (CAP) हर साल लगभग €55 अरब की सब्सिडी देती है। यूरोपीय किसान को राज्य का मोटा सहारा, भारतीय किसान को कहा जाए — मुकाबला करो। यह मुक्त व्यापार नहीं, **धाँधली का व्यापार है।**

न्यूज़ीलैंड सौदा : ट्रोजन घोड़ा

दिसंबर 2025 में भारत-न्यूज़ीलैंड FTA हैरतअंगेज़ फुर्ती से पूरा हुआ — नौ महीने में। इतनी जल्दी क्यों? समझौता न्यूज़ीलैंड को अपने 100% निर्यात पर शून्य-शुल्क पहुँच देता है। सरकार की तारीफ़ इतनी कि डेयरी बाहर रखी — न्यूज़ीलैंड जैसे अति-कुशल डेयरी निर्यातक के आगे यह ज़रूरी बचाव था। पर फिर आता है ज़हर का घूँट : “कृषि उत्पादकता साझेदारी।” ऊपर से यह तकनीक-हस्तांतरण लगता है; पर हर किसान जानता है — जब कंपनी ‘मदद’ का हाथ बढ़ाती है, तो असल में नियंत्रण चाहती है। ये साझेदारियाँ इनपुट-आपूर्ति, बौद्धिक संपदा और गुणवत्ता-मानकों में एग्रीबिज़नेस पूँजी की घुसपैठ का पिछला दरवाज़ा हैं — बड़े, एकीकृत उत्पादकों के पक्ष में, छोटे किसान के खिलाफ।

ऑस्ट्रेलिया, आसियान और फिलीपींस : धीमी टपकन

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022 से लागू) के तीन साल पूरे — फायदा उन्हीं को जिनके पास ढाँचा, प्रमाणन और बाज़ार-कड़ियाँ हैं; धनी किसान आगे, छोटा किसान पीछे। आसियान AITIGA अब समीक्षा में है, और भारत-फिलीपींस PTA आलू-अंगूर के बदले समुद्री-शैवाल तकनीक माँग रहा है। यह धीमी टपकन है — हर समझौता थोड़ा और खोलता है, हर सौदा ऐसी मिसाल गढ़ता है जिससे आगे उदारीकरण आसान और सुरक्षा मुश्किल हो जाती है।

एकतरफ़ा रास्ता और कॉर्पोरेट कब्ज़े की तैयारी

हर समझौते में एक ही असमानता : भारतीय निर्यातक विकसित देशों के कड़े मानकों-बाधाओं में उलझे रहते हैं, जबकि भारी सब्सिडी वाले विदेशी निर्यातक हमारे बाज़ार में आसानी से घुसते हैं। नतीजा — “EU और अमेरिका से एकतरफ़ा कृषि-आयात का रास्ता।” साथ ही घरेलू मोर्चे पर : 2022 में जैव-विविधता कानून में संशोधन कर विदेशी बीज कंपनियों को भारतीय जर्मप्लाज़्म तक बिना मंज़ूरी पहुँच दे दी गई (बायोपायरेसी का खुला न्योता); बीज विधेयक 2025 को SKM व AIKS ने “बीज-संप्रभुता का आत्मसमर्पण” कहा; सार्वजनिक कृषि-अनुसंधान का बजट घटाकर बायर (मोनसैंटो) जैसी कंपनियों और अमेज़न-माइक्रोसॉफ्ट को

‘एग्रीस्टैक’ में पहुँच दी जा रही है। **बीज मिट्टी में है, ढाँचा बन रहा है, कानून फिर से लिखा जा रहा है — फसल कौन काटेगा? किसान या बायर, कारगिल, रिलायंस और अडानी?**

14. साम्राज्यवादी युद्ध और सरकार की मिलीभगत

इस संकट को गोदी मीडिया की तरह एकतरफ़ा मत देखिए। यह कोई मनोरंजक जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं है कि "जंग के किस्से बड़े रोमांचक होते हैं।" यह हमला ठीक प्रधानमंत्री मोदी की इज़रायल-यात्रा के बाद हुआ। प्रधानमंत्री उन युद्ध-अपराधियों के साथ खड़े रहे जिनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। भारत सरकार पहले ही I2U2 जैसे रक्षा-समझौतों में उलझ चुकी है, जो अमेरिका-इज़रायल को साज़ो-सामान की मदद देते हैं — यह हमारी विदेश-नीति के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है।

यह सैन्य आक्रमण उसी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का खूनी जुड़वाँ है, जिसे किसान पहले ही "ऐतिहासिक विश्वासघात" कह चुके हैं। एक ओर अमेरिका-इज़रायल हमारे मित्र देशों पर बम बरसाते हैं, दूसरी ओर मोदी सरकार हमारे कृषि-बाज़ार अमेरिकी शुल्क-मुक्त आयात के लिए खोल देती है। **सस्ते अमेरिकी माल की बाढ़ भारतीय किसान को कंगाल करेगी।** ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका किसी "वसूली गिरोह" (एक्सटॉर्शनिस्ट माफिया) की तरह बर्ताव कर रहा है — पहले वेनेज़ुएला पर हमला, क्यूबा को धमकी। और अमेरिका का सैन्य बजट 56% बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन कर दिया गया — यह उसकी युद्धखोर नीयत का खुला प्रमाण है।

ऐसे युद्ध-भड़काने वालों के साथ खड़े होने की कीमत आम भारतीय चुका रहा है। जब वॉशिंगटन में गढ़ी और तेल-अवीव से हथियारबंद युद्ध-मशीन चलती है, तो उसका पहला भारतीय शिकार बनता है — किसान। बासमती की मंडियाँ ठप, सोलापुर के केले कंटेनरों में सड़ते, नासिक का प्याज़ बंदरगाह पर पड़ा-पड़ा गलता।

भारतीय किसान को साम्राज्यवादी युद्ध-मोर्चे की बलि नहीं चढ़ने देंगे। हमारी माँग साफ़ है : भारत I2U2 और QUAD जैसे किसी भी सैन्य गठजोड़ से खुद को अलग करे, अमेरिका-इज़रायल के हमलों की खुली निंदा करे, और किसी विदेशी राष्ट्रपति की फोटो-अवसर के लिए भारतीयों के खून-पसीने का सौदा बंद करे।

15. हमारी माँगें

1. भारत–अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा मूल पाठ तुरंत संसद के सामने रखा जाए — न काट-छाँट, न सारांश।
2. इस समझौते के तहत दी गई सभी कृषि-रियायतें रद्द की जाएँ।
3. **वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल** पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए।
4. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सभी फसलों पर C2+50% के आधार पर MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।
5. किसानों और ग्रामीण मज़दूरों की संपूर्ण कर्ज़-माफी की जाए।
6. विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 वापस लिए जाएँ।
7. VB-GRAMG रद्द हो; मनरेगा को 200 दिन काम और सम्मानजनक मज़दूरी के साथ बहाल किया जाए।
8. आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 रद्द किया जाए।
9. कृषि को हर व्यापार-वार्ता से स्थायी रूप से बाहर रखा जाए तथा राज्य-सूची के विषयों पर राज्यों की सहमति के बिना कोई अंतरराष्ट्रीय करार न हो।
10. जल्दी खराब होने वाली कृषि-उपज की खरीद-कीमत के 80% से नीचे बिक्री को कानूनन ‘शिकारी मूल्य’ घोषित किया जाए; ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की लूट पर रोक लगे।

16. किसान अधिकार सत्याग्रह 2026 : संघर्ष का आह्वान

भाइयो और बहनो, सरकार ने भले ही आत्मसमर्पण कर दिया हो — किसानों ने नहीं किया है, और नहीं करेंगे। दिल्ली की सरहदें आज भी वहीं हैं। ट्रैक्टर आज भी खड़े हैं। झंडे आज भी लहरा रहे हैं। हमने 2020 में कानून तोड़े थे — 2026 में यह सौदा तोड़ेंगे।

> **22 जुलाई 2026 : गाँव-गाँव में सभाएँ, पर्चा-वितरण और प्रतिरोध दिवस**
> **10 अगस्त 2026 : तहसील/ब्लॉक स्तर पर सत्याग्रह और ज्ञापन**
> **1 सितम्बर 2026 : जिला मुख्यालयों पर विशाल किसान अधिकार सत्याग्रह**

आज़ादी की लड़ाई का इतिहास सिखाता है — किसान एकजुट हों, तो साम्राज्य की ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म ही अंग्रेज़-ज़मींदार गठजोड़ को ललकारने के लिए हुआ था। आज फिर पतित साम्राज्यवादी व्यवस्था किसानों के अधिकार छीनने चली है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध सदा अगुआ रहा किसान फिर उठ खड़ा होगा। यह पुस्तिका पढ़िए, पड़ोसी को पढ़ाइए, चौपाल पर चर्चा कीजिए — और 22 जुलाई, 10 अगस्त तथा 1 सितम्बर को अपने गाँव की कतार में शामिल होइए।

हम किसान के लिए लड़ते हैं। हम सहकारिता के लिए लड़ते हैं। हम उस भविष्य के लिए लड़ते हैं जहाँ अनाज और दूध का दाम, उसे पैदा करने वाले श्रम की गरिमा के बराबर हो।

जय किसान ! जय सहकारिता ! जय हिन्द!

प्रकाशन विवरण

महाविश्वासघात : भारत–अमेरिका व्यापार समझौता — पूर्ण आत्मसमर्पण (जन संस्करण, हिन्दी)
लेखक : राजन क्षीरसागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS मोबाईल नंबर : +91 9860 488 860
प्रकाशक : रावुला वेंकैया, महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS मोबाईल नंबर : +91 9490 952 231
कार्यालय : अजय भवन, 15 इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली – 110002 • फोन : 011 - 41052522
ई-मेल : allindiakisansabha@gmail.com
प्रथम संस्करण : 2026 • मुद्रक : [All India Kisan Sabha]
क्रिएटिव कॉमन्स : लेखक व AIKS के उल्लेख के साथ गैर-व्यावसायिक उपयोग हेतु मुक्त वितरण की अनुमति है।
CC BY

आभार
प्रकाशक एवं अखिल भारतीय किसान सभा निम्नलिखित कार्टूनिस्टों एवं कलाकारों के अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कार्यों ने इस प्रकाशन को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है, तथा इसमें चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सशक्त दृश्य टिप्पणी प्रदान की है।
हम निम्नलिखित के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं: क्रिस्टो कोमार्निट्स्की (पृष्ठ 3), युवा देश (पृष्ठ 4), मंजुल (पृष्ठ 5, 6, 15, 25), सतीश (कार्टूनिस्टसतीश) (पृष्ठ 7), एनके (एनके कार्टून क्रिएटर3) (पृष्ठ 12), हेमंत मोरालिया (पृष्ठ 24), आर. प्रसाद (संभावित) (पृष्ठ 21), अज्ञात/अनाम (पृष्ठ 2, 8, 14)
टिप्पणी: सभी कार्टून एवं चित्रण या तो पुनर्मुद्रित किए गए हैं अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी एवं सार्वजनिक विमर्श के प्रयोजनों हेतु उचित उपयोग प्रावधानों के अंतर्गत सद्भावना से उपयोग किए गए हैं। इन कलात्मक कृतियों में व्यक्त विचार व्यक्तिगत सर्जकों के हैं एवं आवश्यक नहीं कि वे अखिल भारतीय किसान सभा की आधिकारिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हों।